Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the House of the People from the <u>04-Nainital-Udham Singh Nagar</u>
Parliamentary constituency in <u>Uttarakhand</u> state.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

Ajay Bhatt

of 784, Gandhi Chok, Sadar Bazar, Ranikhet (Almora) Uttarakhand- 263645, sponsored by Bharatiya Janata Party, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Rudrapur

Date- 23.05.2019

(Dr. Neeraj Kharwal)

Returning Officer, 04- Nainital- Udham Singh Nagar Parliamentary Constituency.

[नियम 64 देखिए]

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। उत्तराखण्ड राज्य के 04—नैनीताल—ऊधमसिंह नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचन। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा—66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

अजय भट्ट

नि0 784 गाँधी चौक, सदर बाजार, रानीखेत (अल्मोड़ा) उत्तराखण्ड—263645 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए। उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान-रूद्रपुर।

तारीख-23 मई, 2019

(डा. नीरज खैरवाल) रिटर्निंग ऑफिसर, 04—नैनीताल—ऊधमसिंह नगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।